न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

रसएम.नं. 2023/458
कदमा नम्बर 115/2023 दायर दिनांक–18.10.2023

1. ढालचन्द पुत्र श्री नथू सिंह
2. पारा पुत्री नथू सिंह
3. रामा पुत्री नथू सिंह समस्त जाति जाट निवासी चारण की ढाणी ,पुजारी की ढाणी, परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
4. अनिल पुत्र जयराम
5. प्रमिला पुत्री जयराम
6. सुनिला पुत्री जयराम समस्त जाति जाट निवासी चारण की ढाणी, पुजारी की ढाणी परसरामपुरा ,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू हाल आबाद पोषाणा तहसील गुढा गौडजी जिला झुझुंनू

– **प्रार्थीगण**

बनाम

1. परमेश्वरलाल पुत्र द्वारका प्रसाद
2. पिन्टू पुत्र द्वारका प्रसाद
3. मोहनी देवी पत्नी द्वारका प्रसाद
4. सुमित्रा देवी पुत्री द्वारका प्रसाद
5. बनवारीलाल पुत्र श्योराम
6. शिशपाल पुत्र श्योराम समस्त जाति जाट निवासी चारण की ढाणी, पुजारी की ढाणी परसरामपुरा ,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू
7. लक्ष्मण सिंह पुत्र हरजी
8. विजेन्द्र सिंह पुत्र डूंगर सिंह
9. सरदार सिंह पुत्र हरजी
10. विजयपाल सिंह पुत्र डूंगर सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण चारण की ढाणी , पुजारी की ढाणी परसरामपुरा ,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू

–**अप्रार्थीगण**

कील आवेदक : – श्री सज्जन कुमार चाहर
नावेदक सं. 1 लगा. 10 –श्री संदीप सैनी
नावेदक सं. 11 – पैरो. राज.

<u>प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

sheet

आदेश पत्रक
(नियम 13)

{General Rules (civil) Rule 103 Appendix 'B' ...

:: आदेश ::

दिनांक – 14-2-2025

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम चारण की ढाणी में स्थित भूमि खसरा नं. 334 में आने जाने के लिये संलगन नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार खसरा नं. 340 से जो कटाणशुद्वा रास्ते का खसरा है उसके बिन्दू ए से खसरा नं. 338 में से व खसरा नं. 337 के उत्तरी पूर्वी कोने से होते हुये बिन्दु सी तक 230 फीट लम्बा व 15 फीट चौडा रास्ता कायम करने व दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदक सं. 1 लगा. 10 जरिये वकील उपस्थित हो जवाब प्रा0 पत्र पेश नही किया गया। जवाब प्रा. पत्र बन्द किया गया। अनावेदक सं. 11 की और से पैरो. राज. उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार नवलगढ से रिपोर्ट क्रमांक 401 दिनांक 30/05/2024 पेश हुई जिसके अनुसार आवेदक को अपनी कृषि जोत तक पहॅुचने क लिये वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। प्रा. पत्र में चाहा गया रास्ता ही सबसे लघुतम व निकटतम है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत तक पहॅुचने के लिये ख.नं. 340 कटाणी रास्ते से बिन्दू ए से बी तक लम्बाई 56 मीटर व चौडाई 5 मीटर है जिसका कुल रकबा 280 वर्ग मीटर बनता है। ख.नं. 337 के उत्तरी पूर्वी कोने बिन्दू सं. बी से बिन्दू सं. सी तक रास्ते की लम्बाई 14 मीटर व चौडाई 5 मीटर इस प्रकार से कुल रकबा 70 वर्ग मीटर बनता है।

तहसीलदार नवलगढ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस वकील उभय पक्ष बगौर सुनी गई।

वकील आवेदक ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों तथा तहसीलदार नवलगढ की दोनो रिपोर्ट का हवाला देते हुये प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अनावेदकगण द्वारा कोई ठोस अन्य उजर पेश नही किया गया।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक 401 दिनांक 30.05.2024 के अनुसार आवेदक के पास अपनी कृषि जोत तक आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा आवेदक को रास्ते की परमआवश्यक्ता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक 401 दिनांक 30.05.2024 के अनुसार पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चारण की ढाणी में स्थित भूमि खसरा नं. 334 में आने जाने के लिये तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट 401 दिनांक 30.05.2024 के नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार ग्राम चारण की ढाणी खसरा नं. 340 से जो कटाणशुद्वा रास्ते का खसरा है उसके बिन्दू ए से ग्राम चारण की ढाणी के खसरा नं. 338 में बिन्दू ए से बी 56 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौडाई कुल 280

...er sheet

आदेश पत्रक

(नियम 13)

{General Rules (civil) Rule 103 Appendix 'B' Form No. 9}

वर्ग मीटर, बिन्दू सं. बी से सी ग्राम चारण की ढाणी के खसरा नं. 337 में लम्बाई 14 मीटर व चौडाई 5 मीटर कुल 70 वर्ग मीटर गै.मु. सिवायचक रास्ता कायम कर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। रास्ते से प्रभावित खसरा नं. 338,337 के खातेदार काश्तकारों को डीएलसी दर की दोगुनी राशि आवेदकगण से दिलाई जावे। अनावेदकगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई जावें। तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट क्रमांक 401 दिनांक 30.05.2024 मय नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगी।

इस प्रकरण में पारित यह आदेश, इसी न्यायालय के अन्य प्रकरण सं. 58/2024 ...नवानी शिशपाल बनाम अनिल वगै अ.धा. 251 (क) आर.टी.ए. के साथ रखकर व सुनवाई कर पारित किया गया है। इसलिये प्रकरण सं. 58/2024 में पारित आदेश के साथ पढा जावे।

तहसीलदार नवलगढ, मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमलदरामद व मौके पर रास्ता कायम कर पालना करवाना सुनिश्चित करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 14/2/2025....को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

नवलगढ़